भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

भूमि उच्छेद वाद सं0–22/2015–16

सिकन्दर राकस वगै0 – आवेदक

बनाम्

पंचदेव यादव वगै0 – विपक्षी

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष द्वारा पूर्व में पक्ष रखा गया है।

वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर प्रारंभ किया गया कि ग्रम– गोढ़ीमाल, जमाबंदी नं0–73, दाग नं0–200, कुल रकवा– 00–04–18 धुर जमीन उनके पूर्वज के नाम से खतियान में दर्ज है। विपक्षी दाग नं0– 200 कुल रकवा– 00–02–09 धुर जमीन अवैध रूप से हड़प कर मकान बना लिए है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–620/रा0, दिनांक–23.04.2016 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम–गोढ़ीमाल, थाना नं0–503, जमाबंदी नं0–73, खेसरा नं0–200, खतियानी रकवा – 00–04–18 धुर जमीन खतियान में किस्म बाड़ी दोयम रैयत श्याम राकस, वल्द– गणेश राकस, कौम– ग्वाला दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। 00–02–09 धुर जमीन पर द्वितीय पक्ष पंचदेव रावत एवं उनके दो पुत्र अशोक यादव एवं सुभाष यादव पक्के का मकान बनाकर सपरिवार रहते है। जाँच के क्रम में उभय पक्ष द्वारा बतलाया गया कि आपस में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है।

दिनांक–15.06.2013 को सिकन्दर राकस वगै0 द्वारा आवेदन दिया गया है कि ग्राम– गोढ़ीमाल, जमाबंदी नं0–73, दाग नं0–200 के बगल में द्वितीय पक्ष की भूमि है, जिनके द्वारा पक्का का मकान बनाया गया है। आवेदक द्वारा गलती से 00–02–09 धुर भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर उच्छेद हेतु आवेदन दिया गया है। वाद को समाप्त करने की कृपा किया जाय।

उपरोक्त परिस्थिति में वाद की कार्यवाही को चालू रखने की आवश्यकता नहीं है। वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।